

वस्त्र मंत्रालय
(वस्त्र आयुक्त का कार्यालय)

अधिसूचना

मुंबई, दिनांक 15 जून, 2026

का. आ..... (अ). - चूँकि, वस्त्र (विकास और विनियमन) आदेश, 2001 (जिसे आगे उक्त आदेश कहा गया है) आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (1955 का 10) की धारा 3 के तहत जारी किया गया है;

और चूँकि, हथकरघा क्षेत्र देश के ग्रामीण और अर्ध-ग्रामीण इलाकों में आजीविका का एक महत्वपूर्ण स्रोत है और उक्त आदेश केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त वस्त्र आयुक्त को हथकरघा उद्योग के संरक्षण के लिए कानूनी प्रावधान करने का अधिकार देता है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि हथकरघा उद्योग को पर्याप्त मात्रा में उचित मूल्यों पर हेंक के रूप में यार्न उपलब्ध हो और इस उद्देश्य के लिए, वस्त्र उद्योग, सभी संबंधित संघों, महासंघों, फर्मों, व्यक्तियों, गैर-सरकारी संगठनों, परिषदों, निकायों, सहकारी समितियों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों आदि द्वारा उक्त कानूनी प्रावधानों का पालन सुनिश्चित किया जा सके;

और चूँकि, वस्त्र (विकास और विनियमन) आदेश, 2001 की धारा 8 और 11 से प्राप्त शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए, दिनांक 17.04.2003 को अधिसूचना संख्या 2/टीडीआरओ/8/2003 जारी किया गया था, जिसे दिनांक 21.04.2003 को भारत के राजपत्र (भारत के राजपत्र) के भाग-I - खंड 1 में प्रकाशित किया गया था और जो कि अधिसूचना संख्या 04/टीडीआरओ/8/2010 दिनांक 31.03.2010, अधिसूचना संख्या 05/टीडीआरओ/8/2015 दिनांक 02.09.2015, अधिसूचना संख्या 06/टीडीआरओ/8/2018 दिनांक 25.05.2018 और अधिसूचना संख्या 7/टीडीआरओ/6/2019 दिनांक 07.03.2019 के द्वारा संशोधित की गई थी;

अतः, वस्त्र (विकास एवं विनियमन) आदेश, 2001 की धारा 8 तथा 11 द्वारा प्राप्त शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए तथा दिनांक 17.04.2003 की अधिसूचना संख्या 2/टीडीआरओ/8/2003 को, उसके अधिक्रमण से पूर्व किए गए अथवा किए जाने से रह गए कार्यों के संबंध में प्रभाव को अप्रभावित रखते हुए, अधिक्रमण करते हुए, वस्त्र आयुक्त, भारत सरकार की पूर्व स्वीकृति प्राप्त कर तथा लोकहित में, वस्त्र उद्योग द्वारा अनुपालन हेतु निम्नलिखित निर्देश जारी करते हैं, अर्थात्:-

2. परिभाषाएं. - इस अधिसूचना में, जब तक संदर्भ से अन्यथा आवश्यक न हो, -

- (क) "कैप्टिव खपत" का अर्थ है यार्न बनाने वाले द्वारा कपड़ा बनाने के लिए इस्तेमाल किए गए यार्न की खपत, जो बुनाई या लूम शेड या ऐसे निर्माता के निटिंग विभाग में की जाती है;
- (ख) "तिमाही अवधि" का अर्थ है एक वर्ष में जुलाई से सितंबर या अक्टूबर से दिसंबर या जनवरी से मार्च या अप्रैल से जून की अवधि;

वस्त्र आयुक्त

- (ग) “अंतरिती मिल” का तात्पर्य यह मिल जिसने अपनी हैंक यार्न पैकिंग बाध्यता से अधिक हैंक यार्न पैक किया है और जो उस सीमा तक जिस तक उसने अधिक पैकिंग किया है अन्य मिल की हैंक यार्न पैकिंग बाध्यता की कमी को स्वीकार करके पूरा करना चाहता है।
- (घ) “अंतरितक मिल” का तात्पर्य वह मिल है जिसकी हैंक यार्न पैकिंग बाध्यता में कमी आई हो और जो बाध्यता में आई उक्त कमी को अन्य मिल जिसने अपनी बाध्यता से अधिक हैंक यार्न पैक किया है को हस्तांतरण द्वारा उक्त हैंक यार्न बाध्यता की कमी को दूर करना चाहता है।
- (च) “यार्न” का अर्थ पूर्णतः रूई या उसके अपशिष्ट से बनाए गए या काते गये यार्न, जिसमें निम्नलिखित समाविष्ट नहीं होगा:-
- (i) होजियरी यार्न;
 - (ii) सिलाई का धागा;
 - (iii) औद्योगिक यार्न, जैसे टायर कोर्ड, मल्टीपल यार्न (2 प्लाई वाले यार्न से अधिक) जैसे समय-समय पर भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा परिभाषित किया गया है;
 - (iv) विभिन्न काउन्टों के मिश्रित यार्न, कॉप बॉटम से उतारी रूई तथा एकल काउंट के यार्न कॉप बॉटम से उतारी गई यार्न जिसके छोर खुले हो अथवा कम लंबाइयों पर गाँठे हो;
- (छ) “घरेलू खपत के लिए पैक किया गया यार्न” का मतलब है घरेलू बाज़ार में बिक्री के लिए पैक किया गया यार्न, और जिसमें निम्नलिखित सम्मिलित है: -
- (i) यार्न तथा कपडे के उत्पादक दोनों के मामले में, भारत में वितरण, हस्तांतरण और बिक्री के लिए पैक किया गया यार्न जो एक्सपोर्ट और ‘माने गए निर्यात’ को छोड़कर, जैसा कि लागू निर्यात और आयात नीति में बताया गया है, जो खुद की खपत के लिए इस्तेमाल किए गए यार्न से ज़्यादा हो; चाहे कताई, बुनाई या निटिंग यूनिट या विभाग एक ही जगह पर हों या नहीं;
 - (ii) केवल यार्न के उत्पादन के मामले में, प्रवृत्त आयात-निर्यात नीति में परिभाषित किये अनुसार निर्यात व भावी (डीमंड) निर्यात के अलावा भारत में वितरण, अंतरण तथा बिक्री के लिए उसके द्वारा पैक किया गया यार्न;
- (ज) इस अधिसूचना में प्रयोग किए गए वे शब्द और वाक्यांश, जिनकी परिभाषा यहाँ नहीं दी गई है लेकिन जो वस्त्र (विकास और विनियमन) आदेश, 2001 में परिभाषित हैं, उनका वही मतलब होगा जो उस आदेश में बताया गया है।

3. तिमाही विवरणी जमा करना. - यार्न का प्रत्येक उत्पादक, इस अधिसूचना को संलग्न परिशिष्ट-1 में विहित प्रावधानों के अनुपालन में यार्न के पैकिंग से संबंधित वास्तविक एवं सही जानकारी वस्त्र आयुक्त के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय, जिसके अधिकार क्षेत्र में ऐसा यार्न का उत्पादक स्थित है, को प्रत्येक त्रैमासिक

वृद्धा हेसाई

अवधि की समाप्ति के पश्चात दूसरे माह की दस तारीख तक या उससे पहले ऑनलाइन पोर्टल "www.txcindia.gov.in" के माध्यम से भेजेगा।

4. बाध्यता का विस्तार एवं उसकी पूर्ति. - (1) यार्न का प्रत्येक उत्पादक जो घरेलू खपत के लिए यार्न पैक करता है वह जुलाई से सितंबर, 2026 की अवधि से शुरू होने वाली प्रत्येक त्रैमासिक अवधि एवं प्रत्येक अनुवर्ती त्रैमासिक अवधि में हेंक रुप में उतना यार्न पैक करेगा, जो नागरी उपभोग हेतु प्रत्येक त्रैमासिक अवधि के दौरान उसके द्वारा पैक किये गए कुल यार्न के अनुपात में 20% (बीस प्रतिशत) से कम न हो;

बशर्ते कि कि हेंक रुप में पैक किया जाने वाले यार्न का कम से कम 80 प्रतिशत 80 एवं उससे कम काउंट का होगा।

(2) यार्न बनाने वाला कोई उत्पादक जो किसी भी वजह से यार्न को हेंक के रूप में पैक नहीं कर पाता है या जिसके पास उप-पैराग्राफ (1), के अनुसार बताए गए अनुपात तक यार्न को हेंक के रूप में पैक करने की रीलिंग क्षमता नहीं है, वह इस नियम के तहत अपनी जिम्मेदारी को इस तरह पूरा करेगा:-

(क) यार्न बनाने वाला कोई उत्पादक, संबंधित वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) विभाग और वस्त्र आयुक्त के क्षेत्रीय कार्यालय की लिखित मंजूरी से, अपने यार्न को हेंक के रूप में रीलिंग का काम किसी ऐसे दूसरे उत्पादक से करवा सकता है जिसके पास अतिरिक्त रीलिंग सुविधा हो, या फिर किसी ऐसी स्वतंत्र रीलिंग इकाई से करवा सकता है जो वस्त्र आयुक्त के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय के रिकॉर्ड में दर्ज हो।

(ख) (i) जो यार्न उत्पादक इस सुविधा का लाभ उठाता है, उसे हर संबंधित तिमाही अवधि के लिए, वस्त्र आयुक्त के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय में 'फॉर्म-A' जो इस नोटिफिकेशन के साथ संलग्न है, में एक प्रमाणपत्र जमा करना होगा। यह प्रमाणपत्र चार्टर्ड अकाउंटेंट या कॉस्ट अकाउंटेंट द्वारा विधिवत प्रमाणित होना चाहिए और इसे इस अधिसूचना के साथ जुड़े परिशिष्ट - I में तिमाही हेंक यार्न पैकिंग विवरणी के साथ जमा करना होगा।

या

(ii) यार्न के उत्पादक (अंतरितक कहा जाएगा) की एक विशिष्ट त्रैमासिक अवधि की कमी की पूर्ति अन्य उत्पादक (अंतरिती कहा जाएगा) द्वारा अंतरिती की स्वयं की हेंक यार्न बाध्यता वस्त्र आयुक्त के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय की संतुष्टि तक पूर्ण होने के बाद की जाएगी तथा इसके संबंध में सूचना अंतरितक द्वारा इस अधिसूचना को संलग्न परिशिष्ट-II में वस्त्र आयुक्त के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय को प्रत्येक त्रैमासिक अवधि की समाप्ति के पश्चात दूसरे माह के अंत तक या उससे पहले ऑनलाइन पोर्टल "www.txcindia.gov.in" के माध्यम से भेजी जाएगी।

5. बाध्यता को आगे बढ़ाना. - यदि हेंक यार्न पैकिंग बाध्यता में कमी जिसका मतलब है कि सकल हेंक यार्न पैकिंग बाध्यता या मोटे काउंट की हेंक यार्न पैकिंग बाध्यता 15% (पंद्रह प्रतिशत) या उससे कम हो तथा

द्विधा वेसाई

उस बाध्यता को उसी त्रैमासिक अवधि में पूरा कर पाना संभव न हो तो उक्त हैंक यार्न पैकिंग बाध्यता की कमी को ठीक अगली तिमाही अवधि में उसकी स्वयं की पैकिंग से अथवा हस्तांतरण द्वारा उक्त त्रैमासिक अवधि में पूरा किया जाना चाहिए ।

6. अतिरिक्त पैकिंग को आगे बढ़ाना. – त्रैमासिक अवधि के अतिरिक्त हैंक यार्न पैकिंग को ठीक अगली त्रैमासिक अवधि में उसी मिल द्वारा स्वयं की हैंक यार्न पैकिंग बाध्यता की कमी को पूरा करने के उद्देश्य से आगे बढ़ाया जा सकता है । परंतु किसी दूसरे अंतरितक मिल की हैंक यार्न पैकिंग बाध्यता को पूरा करने अथवा किसी दूसरे उद्देश्य या दूसरी त्रैमासिक अवधि के लिए नहीं लिया जा सकता ।

7. हस्तांतरण द्वारा बाध्यता की पूर्ति. – (1) अंतरितक मिल को हैंक यार्न पैकिंग बाध्यता की कमी अंतरिती मिल की उसी अवधि के लिए हैंक यार्न पैकिंग बाध्यता द्वारा पूरा किया जाएगा ।

(2) यदि कोई मिल उसकी स्वयं की हैंक यार्न पैकिंग बाध्यता से अधिक हैंक यार्न पैक करता है और निश्चित समय में इस अधिसूचना के अंतर्गत विहित परिशिष्ट-1 में त्रैमासिक विवरण जमा नहीं करता वह हैंक यार्न पैकिंग बाध्यता में कमी वाली अंतरितक मिलों की बाध्यता में कमी को नहीं ले सकता, यदि वह त्रैमासिक विवरणी देरी से जमा करता है चाहे इस देरी को माफ किया गया हो अथवा नहीं ।

8. छूट. – (1) संबंधित राज्य सरकार द्वारा ऐसी अधिसूचना अथवा आदेश द्वारा “रिलिफ अंडरटेकिंग” घोषित कताई मिल, अधिसूचना अथवा आदेश में दी गई विहित अवधि के लिए हैंक यार्न पैकिंग बाध्यता से छूट की पात्र होंगी ।

(2) राज्य सरकार के आदेश/अधिसूचना द्वारा “रिलिफ अंडरटेकिंग” घोषित कताई मिल, उक्त की प्रमाणित प्रति वस्त्र आयुक्त कार्यालय, मुंबई के फाइबर डिवीजन को जिसकी एक प्रति वस्त्र आयुक्त के अधिकार क्षेत्र वाले क्षेत्रीय कार्यालय को उक्त आदेश/अधिसूचना जारी होने के एक माह के भीतर दें । ऐसा न करने पर, हैंक यार्न पैकिंग बाध्यता की यह छूट केवल उक्त प्राधिकारियों को जमा किए जाने वाले दिन से प्रभावी होगी ।

(3) इस उपबंध के अंतर्गत कताई मिल को हैंक यार्न पैकिंग बाध्यता से छूट होने के बावजूद, उनसे इस अधिसूचना के अनुच्छेद 3 के संबंध में हैंक यार्न पैकिंग विवरणी परिशिष्ट -1 में भरकर भेजना अपेक्षित है।

9. सूचना देने का कर्तव्य. – (1) कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के उपबंधों से बचने, इस अधिसूचना के तहत विधिपूर्वक मांगी गई कोई सूचना देने से मना करने अथवा छिपाने, नष्ट करने, अथवा इस कार्य के दौरान रखे गए किसी वस्तु, कागजात अथवा पुस्तकों को विकृत अथवा विरुप नहीं कर सकेगा ।

(2) इस तरह का कोई भी लोप तथा आचरण, इस अधिसूचना सपठित वस्त्र (विकास एवं विनियमन) आदेश, 2001 एवं आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955, यथा संशोधित, के उपबंधों का उल्लंघन माना जाएगा।

10. व्यावृत्तियाँ. – दिनांक 17 अप्रैल 2003 की हैंक यार्न पैकिंग अधिसूचना सं. 2/टीडीआरओ/8/2003 के अधिक्रमण के बावजूद भी उक्त अधिसूचना के अधीन किसी जारी आदेश, कुछ भी किया हुआ या की गई कोई भी कार्रवाई या प्रोदभूत अधिकार या लगा हुआ दण्ड या कोई जारी निदेश या जारी सूचना या प्रदान की गई

बुद्ध देसाई

छूट अथवा भविष्य में बनाया जाने वाला, किया जाने वाला, लिया जाने वाला, प्रोदभूत, लगा हुआ, जारी या स्वीकृत, किया जाने वाला जैसा भी मामला हो को उक्त अधिसूचना द्वारा किया गया, बनाया गया, किया गया, लिया गया, प्रोदभूत, लगा हुआ, इस अधिसूचना के संबंधित उपबंधों के अंतर्गत जारी अथवा स्वीकृत माना जाएगा।

टिप्पणी: यह अधिसूचना 1 जुलाई, 2026 से लागू होगी और 30 जून, 2029 को समाप्त हो जाएगी, सिवाय उन कामों के जो इस समाप्ति से पहले किए गए थे या नहीं किए गए थे।

०
वैसाई

परिशिष्ट - I

त्रैमासिक हैंक यार्न पैकिंग विवरणी

(पैराग्राफ 3 देखें)

भाग 1 - पहचान के विवरण

1. वस्त्र आयुक्त कार्यालय द्वारा जारी मिल के सिरीयल नं. या टीयूआईडी संख्या _____
2. मिल का नाम एवं पता _____

3. कताई अथवा कंपोजिट यूनिट _____
4. प्रबंधन का स्वरूप (एन टी सी या एस टी सी या सहकारी या निजी या अन्य) _____
5. त्रैमासिक विवरणी _____ को समाप्त अवधि हेतु है।

वै. वैसाइ

भाग 2 - सूती (काँटन) यार्न के उत्पादन, पैकिंग एवं हैंक यार्न बाध्यता का विवरण

(कि.ग्रा.में)

1.	पूर्णतः रूई या उसके अपशिष्ट से बनाए गए या काते गये यार्न से उत्पादित एवं पैक किया गया कुल काँटन यार्न	
2.	उस काँटन यार्न का पैकिंग विवरण (मात्रा) जो इस हैंक यार्न पैकिंग अधिसूचना के अन्तर्गत न आता हो या उससे छूट प्राप्त हो (प्रत्येक मद की पुष्टि में दस्तावेज रखें जाएं)	
क)	होजियरी यार्न	
ख)	सिलाई के धागे	
ग)	औद्योगिक यार्न	
घ)	विभिन्न काउण्टों के मिश्रित यार्न, जो कॉप बाटम से रील ऑफ किये गये हों	
च)	सिंगल काउंट का यार्न जिसे कॉप बाटम से रील ऑफ किया गया हो जिसके छोर खुले हो अथवा कम लम्बाइयों पर गाँठे हों	
छ)	भारत से बाहर निर्यात किया गया यार्न	
ज)	यार्न की आपूर्ति जिसे निर्यात माना (डीमंड एक्सपोर्ट) गया हो (जैसा कि आयात - निर्यात नीति में परिभाषित किया गया है)	
झ)	ऐसे यार्न जिन्हें स्वयं उपभोग किया गया हो।	
ट)	कुल छूट प्राप्त यार्न [स्तंभ सं.(क) से (झ) तक]	
3.	घरेलू खपत के लिए पैक किया गया काँटन यार्न (बाध्यकारी किस्में) (1-2)	

वृंदा हसाई

भाग 3 - घरेलु खपत के लिए पैक किया गया सूती (कॉटन) यार्न (बाध्यकारी किस्में)

(कि.ग्रा. में)

4. घरेलु खपत के लिए पैक किया गया कॉटन यार्न (बाध्यकारी किस्में)		पूर्ण रूई से युक्त यार्न या उसके अपशिष्ट से तैयार यार्न		
पैकिंग का प्रकार या विवरण		80 एस काउण्ट एवं कम	80 एस से अधिक काउण्ट	योग [(1) + (2)]
0		(1)	(2)	(3)
(क)	हैंक (बाहर से हैंक रूप में रील किए गए यार्न सहित)			
(ख)	कोन या चीज, पर्न, बीम इत्यादि			
(ग)	घरेलु खपत के लिए पैक की गयी कुल कॉटन यार्न की मात्रा [(क)+(ख)]			
(घ)	हैंक यार्न पैकिंग बाध्यता (है.या.पै.बा.)			
(च)	हैंक यार्न पैकिंग बाध्यता पूर्ण करने में हुई कमी [(घ)-(क)]			
(छ)	स्वयं की हैंक यार्न पैकिंग बाध्यता पूर्ण करने के बाद की अधिक मात्रा [(क)-(घ)]			
(ज)	कुल बेचा गया हैंक यार्न (इसमे वह हैंक यार्न शामिल है जो बेचा गया किन्तु उठाया नहीं गया)			

भाग 4 - कुल बेचे गए हैंक यार्न का विवरण (इसमे वह हैंक यार्न शामिल है जो बेचा गया किन्तु उठाया नहीं गया)

(कि.ग्रा. में)

5. कुल बेचा गया हैंक यार्न (इसमें वह हैंक यार्न शामिल है जो बेचा गया किन्तु उठाया नहीं गया)		80 एस काउण्ट एवं कम	80 एस से अधिक काउण्ट	कुल [(1)+(2)]
		(1)	(2)	(3)
(क)	घरेलु स्तर पर बेचा गया हैंक यार्न	एनएचडीसी		
		निजी पार्टियाँ जिसमें निर्यातक शामिल हैं		
		अपेक्स या सहकारी सोसायटियाँ		
(ख)	हैंक यार्न जिसका भारत के बाहर निर्यात किया गया			
(ग)	कुल बेचा गया हैंक यार्न (इसमे वह हैंक यार्न शामिल है जो बेचा गया किन्तु उठाया नहीं गया) [(क)+(ख)]			

वृद्धा हेमाई

भाग 5 - हैंक यार्न का भंडारण

(कि.ग्रा.में)

6. हैंक यार्न का भंडारण							
माह (1)	बिक्री न किया गया माल (2)			बिक्री किया गया किन्तु उठाया न गया भंडारण (3)			कुल भंडारण [(2)+(3)] (4)
	80 एस काउण्ट एवं कम	80 एस से अधिक काउंट	कुल	80 एस काउण्ट एवं कम	80 एस से अधिक काउंट	कुल	
(क)	तिमाही के पहले माह के अंतिम दिन भंडारण						
(ख)	तिमाही के दूसरे माह के अंतिम दिन भंडारण						
(ग)	तिमाही के तीसरे माह के अंतिम दिन भंडारण						

प्रमाणित किया जाता है कि, उपरोक्त ब्यौरे सही एवं यथार्थ है। हैंक यार्न पैकिंग बाध्यता की पूर्ति के लिए परिशिष्ट - II वस्त्र आयुक्त के अधिकार क्षेत्र वाले क्षेत्रीय कार्यालय को प्रत्येक त्रैमासिक अवधि, जिसके लिए परिशिष्ट - I को जमा किया गया है, की समाप्ति के दूसरे माह की समाप्ति तक या उससे पहले ऑनलाइन पोर्टल "www.txcindia.gov.in" के माध्यम से जमा किया जाए।

प्रमाणित किया जाता है कि, उपरोक्त विवरण सत्यापित किए गए हैं तथा मेरी (मिल के प्रबंधक) जानकारी तथा विश्वास के अनुसार सही एवं यथार्थ हैं।

प्रमाणित किया जाता है कि, उपरोक्त विवरण सत्यापित किए गए हैं तथा मेरी (चार्टर्ड अकाउंटेंट या कॉस्ट अकाउंटेंट) जानकारी तथा विश्वास के अनुसार सही एवं यथार्थ हैं।

मिल के प्रोप्राइटर या भागीदार या प्रबंध निदेशक या प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के हस्ताक्षर एवं तिथि
(मिल का नाम, पता, संपर्क विवरण एवं मिल की मुहर)

चार्टर्ड अकाउंटेंट अथवा कास्ट अकाउंटेंट के हस्ताक्षर एवं तिथि
(चार्टर्ड अकाउंटेंट अथवा कास्ट अकाउंटेंट का नाम, पता, संपर्क विवरण एवं पंजीयन संख्या)

टिप्पणी: परिशिष्ट -I को वस्त्र आयुक्त के अधिकार क्षेत्र वाले क्षेत्रीय कार्यालय को प्रत्येक त्रैमासिक अवधि की समाप्ति के दूसरे माह की 10 तारीख तक या उससे पहले ऑनलाइन पोर्टल "www.txcindia.gov.in" के माध्यम से जमा किया जाए।

बुद्धा देसाई

फार्म - ए

[पैराग्राफ 4 का उप-पैराग्राफ 2 देखें]

हैंक यार्न के बाहर से रीलिंग का प्रमाणपत्र

प्रमाणित किया जाता है कि तिमाही के दौरान मेसर्स
 द्वारा उत्पादित यार्न की निम्नोक्त मात्रा मेसर्स
 द्वारा स्थित (पूरा
 पता) वस्तु एवं सेवा कर विभाग के दिनांक के पत्र सं.
 (प्रति संलग्न) द्वारा प्राप्त समुचित अनुमति के साथ तथा वस्त्र आयुक्त के क्षेत्रीय कार्यालय
 के दिनांक के पत्र सं. के तहत
 रील की गई है।

(कि.ग्रा. में)

अनु. क्र.	हैंक फार्म में रीलिंग के उद्देश्य से बाहर भेजा गया यार्न				स्तंभ 5 में उल्लिखित यार्न में से हैंक फार्म में पैक की गई यार्न की मात्रा		
	यार्न की श्रेणी या प्रकार	80 एस और उससे कम काउंट में	80 एस से अधिक काउंट में	योग	80 एस और उससे कम काउंट में	80 एस से अधिक काउंट में	योग
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	कोन						
2.	चीज						
3.	कॉप्स						

(जिन मिलों ने यार्न का उत्पादन
 किया है, उनके प्रोप्रायटर या भागीदार या
 निदेशक या प्रबंध निदेशक या प्राधिकृत
 हस्ताक्षरकर्ता के हस्ताक्षर तिथि सहित
 कंपनी या फर्म की मुहर)

(उस रिलिंग इकाई के जिसने अन्य प्रकार का यार्न
 हैंक फार्म में रील किया है उनके प्रोप्रायटर या
 भागीदार या निदेशक या प्रबंध निदेशक या
 प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के हस्ताक्षर तिथि सहित
 कंपनी या फर्म की मुहर)

(चार्टर्ड अकाउंटेंट या कास्ट अकाउंटेंट जैसा भी मामला हो, के दिनांक, मुहर तथा पंजीयन सं. के
 साथ हस्ताक्षर)

बुद्धादेसाई

परिशिष्ट - II

हैंक यार्न पैकिंग बाध्यता अंतरण के लिए आवेदन

[पैराग्राफ 4 का उप-पैराग्राफ 2 देखें]

सेवा में,
प्रभारी अधिकारी,
वस्त्र आयुक्त का क्षेत्रीय कार्यालय,

महोदय,

दिनांक 15.06.2026 की हैंक यार्न पैकिंग अधिसूचना सं.8/टीडीआरओ/8/2026 के अंतर्गत त्रैमासिक अवधि के दौरान जन उपयोग के लिए हम (अंतरितक) से हैंक रुप में (हैंक यार्न पैकिंग बाध्यता) कि.ग्रा. अपेक्षित था। जबकि हमने कि.ग्रा. यार्न हैंक रुप में पैक किया तथा अन्य अंतरिती मिल (मिलों) का कि.ग्रा. हैंक यार्न पैकिंग बाध्यता पहले ही स्थानांतरित की है। अब हम अंतरितक का त्रैमासिक अवधि के लिए हैंक यार्न पैकिंग बाध्यता पूरी करने के लिए कि.ग्रा. की कमी आई है। अतः हमने अंतरिती मिल (मिलों) मेसर्स जिनके पास त्रैमासिक अवधि के लिए स्वयं की हैंक यार्न पैकिंग बाध्यता की पूर्ति के बाद पैकिंग का अधिक्य था, के साथ सम्पर्क किया। हमने अंतरिती मिल (मिलों) से इस बात की पुष्टि भी की है कि उन्होंने वर्तमान त्रैमासिक अवधि के लिए परिशिष्ट-I वस्त्र आयुक्त के अधिकारक्षेत्र वाले क्षेत्रीय कार्यालय को इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट नियत तिथि के भीतर ऑनलाइन पोर्टल "www.txcindia.gov.in" के माध्यम से जमा किया है। अंतरितक मिल (मिलों) द्वारा हैंक यार्न पैकिंग बाध्यता के अंतरण का विवरण तथा अंतरिती मिल (मिलों) की अतिरिक्त हैंक यार्न पैकिंग का विवरण निम्नानुसार है:-

I. अंतरितक मिल की क्रम सं. या टीयूआईडी संख्या:

(कि.ग्रा. में)

क्र. सं.	मद सं.	अंतरितक मिल का विवरण मेसर्स	पूर्ण रुई यार्न	80 एस काउंट एवं कम (कालम 2 के मामले में)
0	00	1	2	3
1	010101	कुल हैंक यार्न पैकिंग बाध्यता		
2	010201	पैक हैंक यार्न (स्वयं की पैकिंग द्वारा बाहर से रील किए यार्न सहित)		
3	010202	हैंक यार्न पैकिंग बाध्यता की अब तक की स्थानांतरित मात्रा		
4	010203	योग - क्र.सं. (2 + 3)		
5	010301	हैंक यार्न पैकिंग बाध्यता की अब स्थानांतरित होने वाली मात्रा		
6	010401	हैंक यार्न पैकिंग बाध्यता में कुल कमी, यदि कोई - क्र.सं. [1-(4+5)]		

वृंदा बेसाई

II. अंतरिती मिल क्रम सं. या टीयूआईडी संख्या:

(कि.ग्रा. में)

क्र. सं.	मद सं.	अंतरिती मिल का विवरण मेसर्स	पूर्ण रुई यार्न	80 एस काउंट एवं कम (कालम 2 के मामले में)
0	00	1	2	3
1	020101	कुल हैंक यार्न पैकिंग बाध्यता		
2	020201	पैक हैंक यार्न (स्वयं की पैकिंग द्वारा बाहर से रील किए यार्न सहित)		
3	020301	कुल अधिक पैक हैंक यार्न क्र.सं.(2-1)		
4	020401	अब तक ली गई मिल (मिलों) या उत्पादक (उत्पादकों) की हैंक यार्न पैकिंग बाध्यता		
5	020501	अब ली गई उपरोक्त अंतरितक मिल (मिलों) की हैंक यार्न पैकिंग बाध्यता		
6	020601	पैक हैंक यार्न का बचा (शेष) यदि कुछ हो क्र.सं. [3-(4+5)]		

हम अंतरिती मिलों ने त्रैमासिक अवधि के लिए परिशिष्ट-1 वस्त्र आयुक्त के अधिकार क्षेत्र वाले क्षेत्रीय कार्यालय को इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट नियत तिथि के भीतर ऑनलाइन पोर्टल "www.txcindia.gov.in" के माध्यम से जमा किया है।

हम अंतरितक एवं अंतरिती मिल उपरोक्त व्यवस्था से सहमत हैं तथा अनुरोध है कि कृपया हमें उपरोक्त अंतरितक मिल की उपरोक्त हैंक यार्न पैकिंग बाध्यता के अंतरण के लिए पंजीकरण पत्र जारी करें।

हम यह भी प्रमाणित करते हैं कि जहां तक हमें ज्ञान है एवं विश्वास है, उपरोक्त प्रस्तुत ब्यौरे सही एवं यथार्थ हैं। हम पूर्ण रूप से जानते हैं कि यदि उपर दी कोई भी जानकारी किसी भी समय गलत पाई गई तो वस्त्र आयुक्त के अधिकारक्षेत्र वाले क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा जारी पंजीकरण पत्र वस्त्र आयुक्त कार्यालय द्वारा हमारे विरुद्ध अलग-अलग अथवा संयुक्त रूप से कार्रवाई के लिए बिना किसी पुर्वाग्रह के रद्द समझा जाएगा।

सधन्यवाद,

भवदीय,

अंतरितक मिल के प्रोप्राएटर या भागीदार या प्रबंध
निदेशक या निदेशक या प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के
तिथि सहित हस्ताक्षर

(मिल का पूर्ण पता दूरभाष सहित।)

अंतरिती मिल के प्रोप्राएटर या भागीदार या प्रबंध
निदेशक या निदेशक या प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के
तिथि सहित हस्ताक्षर

(मिल का पूर्ण पता दूरभाष सहित।)

बुद्धा देसाई

चार्टर्ड अकाउंटेंट या कॉस्ट अकाउंटेंट का प्रमाणपत्र


हम प्रमाणित करते हैं कि अंतरितक एवं अंतरिती प्रस्तुत की गई उपरोक्त जानकारी वस्तु एवं सेवा कर के दस्तावेजों एवं उनके द्वारा अन्य रखे गए संबंधित रिकार्डों के मेल में है।

अंतरितक मिल के चार्टर्ड अकाउंटेंट या कॉस्ट
अकाउंटेंट के तिथि सहित हस्ताक्षर
(नाम, पंजीयन संख्या, दूरभाष एवं मुहर सहित)

अंतरिती मिल के चार्टर्ड अकाउंटेंट या कॉस्ट
अकाउंटेंट के तिथि सहित हस्ताक्षर
(नाम, पंजीयन संख्या, दूरभाष एवं मुहर सहित)

टिप्पणी : अंतरितक मिल द्वारा परिशिष्ट-II वस्त्र आयुक्त के अधिकार क्षेत्र वाले क्षेत्रीय कार्यालय को संबंधित त्रैमासिक अवधि की समाप्ति के दूसरे माह के अंत तक ऑनलाइन पोर्टल "www.txcindia.gov.in" के माध्यम से जमा किया जाए।

[फा. संख्या. 8/टीडीआरओ/8/2026]


(वृंदा मनोहर देसाई) 15/6/2026
वस्त्र आयुक्त